**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 833**

**28 जुलाई, 2015 को उत्तर के लिए**

**भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में विसंगति को दूर करना**

**833. श्री डी.पी त्रिपाठी :**

 क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न श्रेणियों को दी जा रही पेंशन में विसंगति को दूर करने के लिए कोई निर्धारित समय-सीमा योजना नहीं है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की विसंगति को दूर करने के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' स्कीम तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भूतपूर्व सैनिकों की मांगों का समाधान करने तथा उनकी शिकायतें त्वरित रूप से दूर करने के लिए सरकार ने कौन-सा तंत्र तैयार किया है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह)**

(क): भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न श्रेणियों को दी जा रही पेंशन में विसंगति, यदि कोई है, का समाधान करना एक सतत प्रक्रिया है । ऐसी विसंगति जब कभी सरकार के नोटिस में आती है, उसका निवारण किया जाता है ।

(ख) और (ग):पेंशन विसंगतियों को समाधान के लिए सरकार द्वारा "एक रैंक एक पेंशन" की नीति स्वीकार कर ली गई है । एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके सरकार के विचाराधीन हैं । सरकार द्वारा तौर-तरीकों को अनुमोदित करने के पश्चात इसे कार्यान्वित किया जाएगा ।

(घ): भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में एक पेंशन शिकायत प्रकोष्ठ मौजूद है । इस प्रकोष्ठ में प्राप्त हुई शिकायतों की जांच की जाती है और मामले में संबंधित एजेंसियों के समन्वय से समाधान किया जाता है । रक्षा पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक विश्वसनीय मंच मुहैया कराने हेतु पेंशन अदालत आयोजित करने की प्रणाली मौजूद है । इसमें शामिल प्रत्येक संगठन के संबंधित अफसर अदालतों में उपस्थित रहते हैं तथा शिकायतों का उसी समय निवारण किया जाता है । रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) द्वारा कंप्यूटरीकृत पेंशन पूछताछ परियोजना "सुविज्ञा” विकसित की गई है । यह एक ऑनलाइन पेंशन पूछताछप्रणाली है जो भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन के बारे में उनकी हकदारियों की जानकारी लेने में सक्षम बनाएगी । प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन), इलाहाबाद के कार्यालय में एक पेंशनभोगी शिकायत प्रकोष्ठ मौजूद है ।

\*\*\*\*\*